बीरबल - बनाम सुन्दरी मु.न. 112/23

क	आज्ञा पत्र	
8.5	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 112/2023

1 बीरबल पुत्र श्योदान (दौराने दावा फौत) के वारिसान–
1/1 सन्जा देवी पत्नी स्व. बीरबल
1/2 ताराचन्द पुत्र स्व. बीरबल
1/3 विजय कुमार पुत्र स्व. बीरबल
समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी अहीरान तन प्रीथमपुरी डेहरा बांक्यावाली (सांवतदान) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुन्दरी पत्नी हरसहाय उर्फ रिछपाल
2 गोकुल पुत्र हरसहाय उर्फ रिछपाल
3 बाबूलाल पुत्र हरसहाय उर्फ रिछपाल
4 सुभाष पुत्र हरसहाय उर्फ रिछपाल
समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी अहीरान तन प्रीथमपुरी डेहरा बांक्यावाली (सांवतदान) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
5 उप पंजीयक नीमकाथाना जिला सीकर।
6 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.23 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा राजस्व मूलवाद संख्या 63/2010 बउनवानी बीरबल बनाम सुन्दरी व अन्य में पारित फरमाया गया। जिसके तहत वादी का दावा खारिज फरमा दिया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 63/2010 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1410, 2812 वाके ग्राम प्रीथमपुरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पृथक—पृथक जवाबदावा पेश किया गया था परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलबध अभिवचनों व प्रलखीय साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय नहीं किया गया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.ड.—1 बीरबल पुत्र श्योदान, पी.डब्ल्यू—2 सोहन पुत्र रिछपाल, पीडब्ल्यू—3 बनवारी पुत्र हीरालाल के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से उक्त गवाहान से जिरह नहीं की गई इसलिये वादीगण की उक्त मौखिक साक्ष्य अखण्डनीय व अकाट्य है। वादीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य से प्रदर्श—1 जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 की प्रमाणित नकल खसरा नम्बर 1410 व 2812 कुल किता 2 कुल रकबा 3.93 हैक्टेयर ग्राम प्रीथमपुरी, प्रदर्श—2 जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की प्रमाणित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

प्रतिलिपि खसरा नम्बर 3996, 3997, 3998, 3999, 4000 कुल किता 5 कुल रकबा 4.91 हैक्टेयर ग्राम प्रीथमपुरी, प्रदर्श–3 प्रमाणित मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 भूमि खसरा नम्बर 3178 ग्राम प्रीथमपुरी, प्रदर्श–5 प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रति प्रस्ताव नकल पंचायत बैठक दिनांक 05.11.2001, प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रति प्रस्ताव नकल दिनांक 28.06.2011, प्रदर्श–8 असल इकरारनामा दिनांक 10.06.1999, प्रदर्श–9 असल इकरारनामा दिनांक 26. 09.2001 प्रदर्शित करवाये गये। वादीगण की उक्त प्रलेखीय साक्ष्य पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई जिरह नहीं की गई इसलिये उक्त प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डनीय व अकाट्य है। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा को कन्सीडर किया गया है जबकि जवाबदावा में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जवाबदावा के आधार पर मूलवादी बीरबल के पिता श्योदान होना सही माना है परन्तु मूलवादी बीरबल के दादा का नाम चतरराम गलत माना है। मूलवादी बीरबल के दादा का नाम चतराराम कतई नहीं है बल्कि मूलवादी बीरबल के दादा का नाम नन्दा है। विद्वान परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर तथाकथित श्योदान पुत्र चतराराम नाम व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना ही श्योदान पुत्र चतराराम के नाम से कोई राजस्व अभिलेख अथवा प्रविष्टि पत्रावली पर मौजूद थी। सजरा खानदान में दर्ज रामधन पुत्र नन्दा की पत्नी श्रीमती घोठी उर्फ छोटी तथा श्योदान पुत्र नन्दा की पत्नी श्रीमती घोठी उर्फ छोटी एक ही महिला है जो स्व. वादी बीरबल व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की सगी माता है। सजरा खानदान से बखुबी प्रमाणित है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही पूर्वज स्व. नन्दा के वारिसान व उत्तराधिकारी है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पुश्तैनी होने के कारण विवादित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से निहित होने के कारण वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किये जाने योग्य होते हुए भी विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार, गलत फाईडिंग देकर खारिज फरमाया गया है। बीरबल व हरसहाय दोनों भाई अपनी माता श्रीमती घोठीदेवी उर्फ छोटी देवी की अस्थियां को रामघाट हरिद्वार बुलन्दशहर में संस्कार करने के लिए लेकर गये थे। रामघाट हरिद्वार के पंडित ने कियाकर्म संपन्न किये थे, जिनके अभिलेख में बीरबल व हरसहाय सगे भाई होना व घोठीदेवी उर्फ छोटी देवी इनकी माता होने की प्रविष्टि दर्ज है। इससे भी बीरबल व हरसहाय सगे भाई होना प्रमाणित है। अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा राजस्व मूलवाद संख्या 63/2010 बउनवानी बीरबल बनाम सुन्दरी व अन्य में पारित विचाराधीय निर्णय व डिकी दिनांक 18.08.2023 को अपास्त फरमाने की कृपा करें तथा वादीगण का उक्त वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1410, 2812 किता 2 रकबा 3.93 है. की खातेदार हरसा पुत्र रामधन कौम अहीर सा.देह के नाम दर्ज रही है। हरसा के फौत होने पर खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से जाहिर है कि पुराने खसरा नम्बर 1410 के नये खसरा नम्बर 3178 एवं पुराने खसरा नम्बर 2812 के नये खसरा नम्बर 3996, 3997, 3998, 3990, 4000 बने है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने पूर्व में जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनो को अस्वीकार किया है तथा अपने जवाब में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सगे भाई होना, एक मॉ की सन्तान होना, नन्दा के दो पुत्र रामधन व पैमा पैदा होना अस्वीकार किया है तथा वादी बीरबल को श्योदान पुत्र चतराराम का पुत्र होना व श्योदान की जमीने वादी बीरबल के नाम बतौर वारिस दर्ज होना अंकित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवादित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को उनके पति व पिता हरसा पुत्र रामधन से प्राप्त हुई है। हरसा पुत्र रामधन की भूमि से वादी को किस प्रकार अधिकार प्राप्त होते है यह स्पष्ट नहीं होता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हो यह भी वादी साबित करने में असफल रहा है। जहां तक सेटलमेंट के पूर्व से वादी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आने एवं हरसहाय उर्फ रिछपाल कर्ताखानदान होने से भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का प्रश्न है इस संबंध में भी वादी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे कि वादी का सेटलमेंट के पूर्व से विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त साबित होता हो। जहां तक इकरारनामें व मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है। इनके आधार पर वादी को किसी भी प्रकार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेज से वादी अपने वादपत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1410, 2812 किता 2 रकबा 3.93 है. की खातेदार हरसा पुत्र रामधन कौम अहीर सा.देह के नाम दर्ज रही है। हरसा के फौत होने पर खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से जाहिर है कि पुराने खसरा नम्बर 1410 के नये खसरा नम्बर 3178 एवं पुराने खसरा नम्बर 2812 के नये खसरा नम्बर 3996, 3997, 3998, 3990, 4000 बने है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने पूर्व में जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनो को अस्वीकार किया है तथा अपने जवाब में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सगे भाई होना, एक मॉ की सन्तान होना, नन्दा के दो पुत्र रामधन व पैमा पैदा होना अस्वीकार किया है तथा वादी बीरबल को श्योदान पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चतराराम का पुत्र होना व श्योदान की जमीने वादी बीरबल के नाम बतौर वारिस दर्ज होना अंकित किया है।

विवादित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को उनके पति व पिता हरसा पुत्र रामधन से प्राप्त हुई है। हरसा पुत्र रामधन की भूमि से वादी को किस प्रकार अधिकार प्राप्त होते है यह स्पष्ट नहीं होता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हो यह भी वादी साबित करने में असफल रहा है। जहां तक सेटलमेंट के पूर्व से वादी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आने एवं हरसहाय उर्फ रिछपाल कर्ताखानदान होने से भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का प्रश्न है इस संबंध में भी वादी द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे कि वादी का सेटलमेंट के पूर्व से विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त साबित होता हो।

जहां तक इकरारनामें व मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है। इनके आधार पर वादी को किसी भी प्रकार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेज से वादी अपने वादपत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर